

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

10/6/20

पत्रावली पेश हुई।
आज हम दीगर आवश्यक कार्यों
में व्यस्त है। अतः इत्तवा होकर
पत्रावली आइन्दा 18/7/20 को पेश हो।

18/7/20

पत्रावली काज फेरस हुई। वकील जाकी
इन्फोर्मेशन। शाही इन्फोर्मेशन। शाही व
शाही के इन्फोर्मेशन का कोरे समय है
तीन बार तीन-तीन भागों में दिलाई
गई। कावला भागों में दिलाई के
शाही व शाही के इन्फोर्मेशन इन्फोर्मेशन
तः उक्त उक्त उक्त उक्त शाही की
इन्फोर्मेशन व इन्फोर्मेशन के इन्फोर्मेशन
दिया जाता है। पत्रावली विषय सुनकर
होकर इन्फोर्मेशन इन्फोर्मेशन है।

(पुनी)

सहायक कलेक्टर, गुजामासाने



प्राथमिक

श्रीमान सहायक कलक्टर ,एस डी ओ महोदयजी,
गुडामालानी ।

प्रार्थी-

1. प्रभूराम वल्द नीम्बाराम उम्र 40 वर्ष
जाति जाट साकिन ढीमडी तहसील गुडामालानी
जिला बाडमेर ।

बनाम

विप्रार्थीगण

1. आईदान पुत्र लाखा उम्र 55 वर्ष
2. भारूराम पुत्र लाखा उम्र 45 वर्ष
3. सोनाराम पुत्र नीम्बाराम उम्र 35 वर्ष
4. खेताराम पुत्र रावताराम उम्र 35 वर्ष
5. जुंजाराम पुत्र रावताराम उम्र 30 वर्ष
6. सजनोदेवी पत्नी रावताराम उम्र 60 वर्ष
जाति जाट साकिन ढीमडी
तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर
7. मैनेजर एस बी आई बैंक शाखा गुडामालानी
8. मैनेजर आर एम जी बी बैंक शाखा गुडामालानी
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गुडामालानी ।

आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित

आदेश 39 नियम 1 व 2 व्यवहार प्रकिया संहिता 1908

महोदयजी,

निवेदन प्रार्थी का निम्न प्रकार है :-

1. कि प्रार्थी ने तहसील गुडामालानी के मण्डल मण्डल बांटा के ग्राम ढीमडी के खेत खसरा नम्बर 57 क्षेत्रफल 8.0532 हैक्टेयर किस्म बा. दायम का आया हुआ है को अपनी खातेदारी मे घोषित करने हेतु विधि के सारभूत आधारो पर एक वाद माननीय न्यायालय मे दायर किया है जिसमे प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण आशा है ।

प्रभूराम


2. कि आराजी के राजस्व रेकर्ड की प्रविष्टिया के आधार पर प्रार्थी का उपरोक्त विवादित आराजी तहसील गुडामालानी के मण्डल मण्डल बांटा के ग्राम ढीमडी के खेत खसरा नम्बर 57 क्षेत्रफल 8.0532 हैक्टेयर किस्म बा. दोयम का आया हुआ है मे प्रार्थीगण के हक हिस्से व कब्जा काशत मे किसी भी प्रकार का विप्रार्थीगण हस्तक्षेप न करे तथा प्रार्थीगण को अपने कब्जे काशत की भूमि से बेदखल नही करे अगर उक्त विवादित आराजी मे से प्रार्थी को विप्रार्थीगण बेदखल करने मे सफल होते है तो उससे प्रार्थी को भारी अपूरणिय क्षति होगी जिसका मुल्याकंन करना प्रार्थी के लिए सम्भव नही है ।

3. कि समस्त परिस्थितियो मे सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे है ।

अतः आवेदन मय शपथ पेश कर निवेदन है कि विप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वाद के निर्णय तक मण्डल मण्डल मण्डल बांटा के ग्राम ढीमडी के खेत खसरा नम्बर 57 क्षेत्रफल 8.0532 हैक्टेयर किस्म बा. दोयम का आया हुआ है प्रार्थी के हक हिस्से अनुरूप रेकर्ड व मौके की स्थिति यथावत रखे तथा उक्त आराजी मे प्रार्थीगण के कब्जा काशत मे हस्तक्षेप नही करे ।

इति दिनांक

10.1.22



जुराम